राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...630, 631 व 632/2015 .....जिला..... बीकानेर.....

उनवान – मैसर्स जीवनलाल पवन कुमार, सरदारशहर, बनाम् वा.क.अ., वृत्त–चुरू।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.07.2015	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 26.02.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें वा.क.अ., वृत्त–चुरू (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 23/24 के तहत् कमशः निर्धारण वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2015, 15.02.2015 में कायम मांग राशि में से कमशः रू4,08,870/–, रू.8,62,210/–, रू.10,63,326/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने को विवादित कर, उक्त राशियों पर की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुरेश ओझा व विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा रोक आवेदन पत्रों पर **बहस हेतु दिनांक 10.07.2015 को उपस्थित हुये।** उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्रों पर निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि केता व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार सद्भावनापूर्ण किया गया था। कथन किया कि समस्त लेन देन बहियात में दर्ज है। वैट इनवॉयस सही जारी किये गये हैं तथा निर्धारण अधिकारी को नियमित रिटर्न पेश किये गये हैं तथा रिटर्न के अनुसार बनने वाला कर भी जमा करवाया गया है। रिटर्न के अनुसार कोई कर बकाया नही है। कथन किया अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कय की गयी खरीद पूर्णतः सही है। विकेता के भी विकेता अथवा उससे भी और आगे किसी व्यवसायी ने कर जमा करवाया अथवा नहीं, यह मालूम करना अपीलार्थी व्यवहारी के लिए सम्भव नहीं था। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का शथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त को नजरअंदाज कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। विशिष्ट रूप से अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत **वा.क.अ. वृत्त–ए, श्रीगंगानगर बनाम् मैसर्स विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर, अपील संख्या 1824 व 1825/2008/श्रीगंगानगर, (आर.टी.बी.) 27 टैक्स अपडेट 109** को प्रोद्धरित कर, सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने का कथन कर, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। लगातार.....2	

21.07.2015

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण व सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक नहीं लगाने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन करने के पश्चात्, हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **41 टैक्स अपडेट 269 मैसर्स पूजा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम् राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 02.03.2015 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 669 व 672/2015 मैसर्स केसरिया प्रोसेर्स, ब्यावर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, अजमेर निर्णय दिनांक 23.06.2015**, जिसमें पीठ द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, में प्रतिपादित विधि के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार कर, बकाया मांग राशि क्रमशः रू4,08,870/–, रू.8,62,210/–, रू.10,63,326/– की वसूली कार्यवाही पर सशक्त अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, रोक लगायी जाती है तथा **अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।**

निर्णय प्रसारित किया गया ।

21.7.2015
(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

21.7.2015
(मदन लाल)
सदस्य